(6)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– श्री कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 12/2017

ओमप्रकाश पुत्र आसाराम जाति जाट , हरीसिंह पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी सरदारपुराखर्था वारानी तहसील सूरतगढ।

प्रार्थीगण

वनाम

जैसाराम पुत्र श्री लिछमणराम निवासी सरदापुराखर्था आदि।

अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थनापत्र अंतर्गत14(4) भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री अशोक छावडा
2. अधिवक्ता रेस्पोडेंट श्री सुरेन्द्र कुमार
3. पैरोकार राज.

निर्णय दिनांक: 05.03.2024

प्रार्थना पत्र ओमप्रकाश पुत्र आसाराम जाति जाट , हरीसिंह पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी सरदारपुराखर्था वारानी तहसील सूरतगढ द्वारा अप्रार्थी जैसाराम पुत्र लिछमणराम जाति सुथार आदि के विरुद्ध शिकायत प्रार्थनापत्र अंतर्गत14(4) भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है।अप्रार्थी जैसाराम द्वारा रोही सरदारपुराखर्था के खसरा न0 205/3 मे 1.012 है0, व ख. न. 205/4 में 2.164 है0व ख.न. 205/5 में 1.100 है0 रकवा के खातेदारी अधिकार वास्तविक तथ्या छुपाकर विना कब्जा काश्त के खातेदारी अधिकार तहसीलदारसूरतगढ द्वारा दिनांक 30. 07.2008 को विधि विरूद्ध तरीके से प्राप्त कर लिये थे। मौके पर उक्त रकवे पर आवादी वसी हुई है व रिहायशी मकान बने हुए है इस आवादी में बसने वाले वच्चों की पढाई हो सके इसलिये आवादी भूमि में इस रकवा पर सरकारी स्कूल मंजूर करवाया गया जिसमे मौके पर भवन वना हुआ है। यह कि जैर प्रकरण रकवा में अवाप्ति के वीचों वीच विद्यालय बना हुआ है तथा इस रकवा पर अप्रार्थी स0 1 का इस रकबे पर कब्जा नहीं है। अप्रार्थी द्वारा दानपत्र बावत् आवादी मंजूर करवाने के लिए पूर्व में प्रस्ताव भी पारित करके श्रीमान जिला कलक्टर को भेजे हुए है। अप्रार्थी का इन खसरो के टीसी आवंटन से पहले यहॉ आबादी भूमि थी रकवा आराजीराज था व मात्र टीसी पेपर आवंटन होने से अप्रार्थी ने आवादी के रकबा के खातेदारी हक सही तथ्य छिपाकर प्राप्त किये है व इस रकबा की बिना कब्जे ही वेचान कर विवाद और ज्यादा बढाना चाहते है। यह कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय अप्रार्थी टीसी आवंटन पत्रावली पर गौर नहीं किया तथा अप्रार्थी का टीसी नवीनीकरण भी नहीं रहा सम्वत 2042 से पहले हरवर्ष टीसी नवीनीकरण पत्रावली पर होता रहा है तथा सम्वत 2042 के पश्चात सम्वत 2054–55 तक नवीनीकरण के लिए हर वर्ष प्रार्थना पत्र पेश करना पडता था प्रतिवर्ष पटवारी हल्का की रिपोर्ट लेकर टीसी नवीनीकरण किया जाता था अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार विना नवीनीकरण आदेश विधि विरूद्ध तरीके से जारी किये है इसलिए आवंटन काविल निरस्ती योग्य है।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक छावडा व अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार उपस्थित आये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:58:57 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षकारान की बह[illegible] अपनी बहस में शिकायती प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को ही अपनी बहस [illegible] निवेदन किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता श्री सु[illegible] ने अप्रार्थी की [illegible] जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि पूर्व में गा[illegible] .00 बीघा भूमि सरकारी विद्यालय हेतु दान में दी[illegible] संख्या 1 का कब्जा काश्त है, मगर प्रार्थी व कई अन्य व्यक्तियों एवं सरपंच ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था मे मिलजुल कर अप्रार्थी स. 1 से 2.00 बीघा का दान पत्र लिखवाते समय दानपत्र दस्तावेज में खसरा नम्बर व कितना रकवा दान दिया है वो रकवा खाली छुडवाते हुए अंगुठा कर नोटेरी से तस्दीक करवा लिया जिसमें बाद में 4.226 है0 रकवा गलत दर्ज करवा लिया। जबकि अप्रार्थी न0 1 द्वारा 2.00

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

बीघा रकबा का ही स्कूल हेतु दान दिया था। जिसका नाजायज फायदा उठाकर दान पत्र तस्दीक करवाया है जो अप्रार्थी न. 1 के हितो पर निष्प्रभावी है। जिसका फोजदारी मुकदमा पुलिस थाना सूरतगढ में जैरकार है।

पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया गया व उभय पक्षों की बहस व सबन्धित कानून का मनन किया गया। रोही सरदारपुराखर्था के खसरा न0 205/3 मे 1.012 है0, व ख.न. 205/4 में 2.164 है0व ख.न. 205/5 में 1.100 है0 कुल 6.704 है0 रकबा के दिनांक 30.7.2008 को तहसीलदार सूरतगढ द्वारा अप्रार्थी जैसाराम के नाम खातेदारी अधिकार जारी किये जा चुके है व उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा रोही सरदापुराखर्था के ख.न. 205/4 में 0.506 है0 यानि 2.00 बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरदारपुराखर्था बारानी हेतु आवंटित की जा चुकी है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दानपत्र उपपंजीयक कार्यालय से पंजीबद्ध नहीं है केवल नोटेरी से रजिस्टर्ड है। उक्त रकबा खातेदारी दर्ज रिकार्ड है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर शिकायती प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 05.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:58:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner